न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–106/2026

मुफस्सिल थाना कांड सं0–663/2022 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–341, 354बी, 376, 511, 323, 506/34 भा.द.वि.

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

रबुउद्दीन मियां व अन्य ..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री मनोज कुमार सिंह नं0 5, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रबुउद्दीन मियां 2. शहाबुद्दीन मियां 3. सलमा बीबी की ओर से मुफ्स्सिल थाना कांड संख्या 07/2026, अंतर्गत धारा–341, 354बी, 376, 511, 323, 506/34 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका रानी कुमारी के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 13.10.2019 को समय करीब पांच बजे शाम में सूचिका शौच करने के लिए अपने घर से उत्तर शमशान घाट की ओर गई थी कि अभियुक्त रबुउद्दीन मियां व इसराईल मियां बुरी नियत से अकेला पाकर सूचिका का हाथ पकड़कर मुंह दबाकर शमशान के पास मूंजवानी में ले गया तथा रबीउद्दीन मियां बुरे नियत से उसे जमीन पर पटक कर शरीर पर चढ़ गया तथा छाती मसलने लगा एवं बलात्कार करने का अथक प्रयास किया, इसराईल मियां सूचिका का हाथ पकड़े हुए था। सूचिका इसराईल मियां को दांत से काट ली तथा लात से मारी तो रबुउद्दीन मियां गिर गया तथा सूचिका ने हल्ला किया तो दोनों गाली–गलौज करते हुए व धमकी देते हुए भाग गये तथा बोले कि तुम्हारे खानदान के लोगों को एक घंटा में साफ करते है। सूचिका घर पर आकर सारी घटना बताई। उसी दिन छः–सात बजे शाम में सभी अभियुक्तगण लाठी, डंडा, चाकू इत्यादि से लैश होकर सूचिका के दरवाजे पर आ गया तथा सूचिका के पिता को अभियुक्त रबुद्दीन मियां लाठी से मार दिया जो ललाट व आंख पर चोट लगा। सूचिका ने हल्ला की तो इसी बीच गांव के बहुत सारे लोग आ गये तथा भीड़ को देखकर वे लोग भागने लगे तथा इसराइल मियां को खदेड़कर शमशान की ओर भीड़ ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिये जो बाद में मर गया। अभियुक्तगण काफी मनबढ़ु व धनी व झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति हैं जिनके भय से गॉव का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि वे निर्दोष हैं इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इन्हें झूठा मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की

लगातार
06.03.2026

ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं तथा उनके विरूद्ध कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। उभय पक्ष द्वारा सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर दाखिल किया गया है और सूचिका ने न्यायालय ने उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि उसने मुकद्मा में राजी–खुशी से सुलह कर लिया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सूचिका को बुरे नियत से उसे जमीन पर पटक कर शरीर पर चढकर छाती मसलने एवं बलात्कार करने के प्रयास का अभियोग है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद सिवान मुफस्सिल थाना कांड सं0 07/2025 आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–341, 354बी, 376, 511, 323, 506/34 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है। प्रस्तुत आपराधिक वाद परिवाद पत्र पर संस्थित किया गया है। सूचिका **(परिवादिनी**) न्यायालय में उपस्थित होकर सुलहनामा का समर्थन करते हुए कहा है कि उसने बिना किसी दबाव के सभी अभियुक्तों से सुलह कर लिया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं होने की कही गई है तथा प्रस्तुत आपराधिक मामले में उभय पक्षों के बीच राजी–खुशी से सुलह हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रबुउद्दीन मियां 2. शहाबुद्दीन मियां 3. सलमा बीबी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।